

(34) (34)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/4256 विरुद्ध आदेश दिनांक 25.09.2017 पारित द्वारा आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 79/12-13/अपील.

संजीव सिंह पुत्र श्री कप्तान सिंह
निवासी ग्राम महलगांव कृषक सिरोल
तहसील व जिला ग्वालियर, म.प्र.

.....आवेदक

विरुद्ध

म.प्र. शासन

.....अनावेदक

श्री सी.एम. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री विवेक मिश्रा, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/9/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 25.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपर तहसीलदार, मुरार जिला ग्वालियर को कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 4360/8-भू.अ./9-11/विविध दिनांक 29.09.2008 से ग्राम सिरोल तहसील, ग्वालियर शासकीय भूमियों की हेराफेरी के संबंध में सूची प्राप्त हुई, जिसमें शासकीय भूमि बिना किसी न्यायालय के प्रकरण क्रमांक एवं आदेश दिनांक के निजी अंकित है। उक्त सूची में सर्वे नं. 468 रकबा 1.505 जो कि सम्बत् 2007 में अभिलेख में शासकीय दर्ज था। तहसीलदार ने जांच में उक्त भूमि बिना किसी न्यायालय के आदेश

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

के सम्बन्ध 2064 में संजीव सिंह पुत्र श्री कप्तान सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम महलगांव के नाम दर्ज होना पाई। अपर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 30/09-10/अ-6 पंजीबद्ध कर संबंधित को सूचना पत्र जारी किया गया। संबंधित ग्राम में न होने से तामील वापस प्राप्त हुई। ग्राम के पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर आदेश दिनांक 30.03.2010 से संहिता की धारा 115 के तहत ग्राम सिरौल की उक्त भूमि, जो कि सम्बन्ध 2007 में शासकीय दर्ज थी, बिना किसी विधिक आदेश के निजी स्वत्व पर दर्ज पाई गई। प्रविष्टि सुधार के आदेश दिये जाकर भूमि पुनः शासकीय दर्ज की। ग्राम पटवारी को निर्देशित किया गया कि यह परिवर्तन खसरे में लाल स्याही से दर्ज करें। अपर तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध रामप्रकाश सिंह एवं अन्य पुत्रगण कल्याण सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 14.01.2013 को आदेश पारित कर मूल प्रकरण से भिन्न भूमि के संबंध में अपील प्रस्तुत होने से अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 25.09.2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर तहसीलदार द्वारा कल्याण सिंह एवं उसके वारिसान रामप्रकाश आदि एवं आवेदिका गंगादेवी को व्यक्तिशः सूचना दिये बिना उसे संपूर्ण सुनवाई, जवाबदेही, साक्ष्य जिरह आदि का अवसर प्रकदान किये बिना एकतरफा आदेश प्रदान किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। परीक्षण न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष अपील प्रस्तुत कर उक्त अपीलों में अपने सभी कानूनी बिन्दुओं का उल्लेख किया था तथा समस्त दस्तावेज खसरा रिकॉर्ड आदि प्रस्तुत किये थे, जिन पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई सही निष्कर्ष अपने आदेश से नहीं निकाला है और ना ही उनके संबंध में आदेश में कोई उल्लेख किया है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत किये गये थे, उनके द्वारा उन पर कोई ध्यान न देते हुए आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधिसंगत आदेश न होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों में मटेरियल फैक्ट्स आदि पर सही विवेचना न करते हुए जो आदेश पारित किये हैं, वह निरस्त किये जाने योग्य हैं। तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों




का आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि परीक्षण न्यायालय तहसील द्वारा भी जो आदेश पारित किया गया था, ऐसा कोई ठोस प्रमाण दस्तावेज रिकॉर्ड संबंधी प्रकरण में न होते हुए भी भूमि को शासकीय भूमि किये जाने में गंभीर कानूनी भूल की थी और उसी आदेश से व्यथित होकर समस्त रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भी प्रस्तुत खसरा रिकॉर्ड, दस्तावेज आदि पर कोई निष्कर्ष अपने आदेश में नहीं दिया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं।

4/ अनावेदक के विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर एवं अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि परीक्षण न्यायालय एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन शासकीय भूमि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के निजी स्वत्व में दर्ज हुई है। तहसीलदार द्वारा परीक्षण उपरांत संबंधित प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया और ग्राम सिरोल के प्रश्नांकित सर्वे क्रमांक 489 रकबा 0.627 को शासकीय दर्ज किये जाने के आदेश जारी कर खसरे में अमल कराया गया है जो विधिसंगत कार्यवाही है जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखा गया है। अतः इस संबंध तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरुद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-


"धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-9-2017 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।




6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-9-2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है। !

सह
आर


(मनोज गौयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर